**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस**

**अपील संख्याः 01/16** **निर्णय दिनांक** 22-2-21
**(जीसीएमएस संख्या 2015/00301)**

1. रामचन्द्र पुत्र बृजराम
2. मु. सिमकौरी पत्नि स्व. हरफूलराम
3. अनिल कुमार पुत्र स्व. हरफूलराम
4. सुनिल कुमार पुत्र स्व. हरफूलराम

जाति जाट निवासी पीपेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश दिनांक 16—12—2015**
**उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर**

**<u>उपस्थितः—</u>**

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट

**—निर्णय—**

**1.** अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 16—12—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:59:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा मलकीसर के पुराना खसरा नम्बर 66 मीन तादादी 36 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 62 मीन तादादी 30 बीघा भूमि अपीलांट स्वयं एवं अपीलांट संख्या 2 ता 4 के पति/पिता हरफूलराम को तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 05–06–1961 को बतौर टीसी आवंटित की गई थी। तभी से उक्त भूमि पर अपीलांट्स का निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है। दौराने भू–प्रबन्ध वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर पुराना 62 मीन के नये खसरा नम्बर 111 व पुराना खसरा नम्बर 66 मीन के नये खसरा नम्बर 126 बनाकर मिसल बन्दोबस्त तैयार की गई। खसरा गिरदावरी संवत् 2026 से 2029 में खसरा नम्बर 111/13 तादादी 30 बीघा व खसरा नम्बर 126/14 तादादी 36 बीघा 08 बिस्वा भूमि अपीलांट के पूर्वज हरफूलराम के नाम दर्ज की गई। कालान्तर में उक्त भूमि उपनिवेशन में आने पर खसरा नम्बर 126/14 तादादी 32 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 111/13 में तादादी 33 बीघा पुनः वर्ष 1970 से 1973 के लिये टीसी आवंटन कर गई तथा कब्जा अपीलांट के पिता को सुपुर्द कर दिया गया। अमलाराज द्वारा अपीलांट के आवंटन व कब्जे काश्त के विरूद्ध जाकर अपीलांट को आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया तथा वादग्रस्त भूमि को आराजीराज दर्ज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष यह कथन किया गया था कि अपीलांट को आवंटित भूमि को यदि दौराने वाद अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन की गई अथवा वादग्रस्त भूमि से अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:59:18 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन–फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित है तथा वादगत् भूमि पर मौके पर भौतिक रूप से उसका कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर टीसी आवंटित भूमि है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है।

रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर टीसी आवंटित भूमि है तथा वादगत् भूमि पर भौतिक रूप से अपीलांट का कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:39:18 IST
Reason: SelfAttested

5. हस्तगत् प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत कर वादगत् भूमि वाके रोही मलकीसर के पुराना खसरा नम्बर 66 मीन तादादी 36 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 62 मीन तादादी 30 बीघा जिसके दौराने भू–प्रबन्ध वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर पुराना 62 मीन के नये खसरा नम्बर 111 व पुराना खसरा नम्बर 66 मीन के नये खसरा नम्बर 126 जोकि खसरा गिरदावरी संवत् 2026 से 2029 में खसरा नम्बर 111/13 तादादी 30 बीघा व खसरा नम्बर 126/14 तादादी 36 बीघा 08 बिस्वा भूमि पैमूद हुई, के आवंटन एवं मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है चूंकि वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उसका कोई कब्जा काश्त साबित हो। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर संबंधित तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 111/13 के कॉलम संख्या 6 में [illegible] रामचन्द्र पि. बृजलाल साकिन पीपेरा आवंटी अंकित है, परन्तु उक्त [illegible] रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट [illegible] किसी प्रकार का कोई कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:59:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

काश्त नहीं है, ना ही उक्त भूमि कभी अपीलांट को आवंटित हुई है तथा भूमि उपनिवेशन से पूर्व ही आराजीराज दर्ज है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र खसरा गिरदावरी में अंकन के आधार पर अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार साबित नहीं कर सकते है।

अपीलांट द्वारा अपने कथनों से समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी, वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में मौका रिपोर्ट आदि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित/कब्जे काश्त की भूमि रही हो। ऐसी स्थिति में बिना आवंटन/कब्जे काश्त की भूमि से अपीलांट को बेदखल करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है, ना ही अपीलांट केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर वादगत् भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत होते है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का आदेश दिनांक 16—12—2015 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 22-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:59:18 IST
Reason: SelfAttested